

29/04/24

पत्रा. पेशा हुई। पार्श्वीगण मय आधिवक्ता अनुपाधिक
जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार-बार
आवाजे लगावई गई। उसके उपरान्त भी पार्श्वीगण
मय आधिवक्ता के गैर-हजर रहने से पार्श्वीगण
का पार्श्वीगण - पत्रा अन्तर्गत धारा - 212 R.T.A. का
अदम हजरि व अदम पैरवी मे खारिज किया
जाता है।

पत्रावली कैसल सुमार लेकर नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफतर हो। N

यक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर